इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जनवरी 2022—पौष 27, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2022

अधि. क्र. 02-एफ-1-25-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 68 की उपधारा (1), सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 124 के खण्ड (ण ण) के साथ सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 7 में, उप-नियम (2) में, मद (ग) में, अंक तथा शब्द "3 वर्ष" के पश्चात्

निम्नलिखित टीप अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**टीप:**—जन निजी भागीदारी योजना के अधीन बी. ओ. टी. (BOT) के आधार पर निर्मित आउटडोर मीडिया उपकरणों की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी, जो एक बार में दस वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी.".

(2) नियम 28 में, उप-नियम (1) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसे क्षेत्रों में यूनीपोल/होर्डिंग लगाने से नागरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है तो वह आवश्यकतानुसार, खण्ड (घ), (ङ), (च) के प्रावधानों में छूट दे सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-25-2016-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02-एफ-1-25-2016-अठारह-3 दिनांक 17 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2022

Noti. No. 02-F-1-25-2016-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and clause (oo) of Section 124 read with section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh outdoor Advertisement Media Rules, 2017, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 7, in sub-rule (2), in item (C), after the figure and word 3 years, the following note shall be added, namely :—

   "**Note:** The Period for outdoor media device built on BOT basis under public private partnership shall be decided by the competent authority, which shall not be more than ten years at one time.".

2. In rule 28, in sub-rule (1), for fullstop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided that the competent authority after ensuring that placing Unipole/Hording on such areas does not cause any danger to public safety, as per requirement, may relax provision of clauses (d), (e) and (f).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.